न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 70/2023 तारीख रजू:—21.06.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

गिर्राज पुत्र गुर्जी जाति मीना, निवासी जमालपुर, मेडकापुरा, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

भरतराम पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी जमालपुर मेंड का पुरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल
2. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट गैरसायल

निर्णय

दिनांक :—26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायल ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायल के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 1358 रकबा 63 ऐयर स्थित ग्राम जमालपुर, तहसील हिण्डौन में सायल के मृतक पिता गुर्जी पुत्र कजोडया 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहे हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात सायल को उनके मृतक पिता गुर्जी से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसकी विरासत कमा नामान्तकरण तस्दीक फरमायाजाना सक्षम अधिकारियों के अधीन प्रक्रियाधीन है। जिसकी पुष्टि भी जमाबंदी के कॉलम नं. 7 की इबारत से भली प्रकार हो रही है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी में सायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपने पिता मृतक गुर्जी के 1/4 हिस्से पर बतौर स्वामी काबिज एवं दखील है। जिससे गैरसायल का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 07.06.2023 को गैरसायल सायल के पास आया, एवं कहने लगा कि मेरे पास आबादी बाबत जमीन की कमी है। इसलिये तुम ख0नं0 1358 के अपने हिस्से में से आबादी बाबत कुछ भूमि विक्रय कर दो। जिस पर सायल ने गैरसायल से अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने से मना किया तो गैरसायल नाराज हो गया और कहने लगा कि तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं डण्डे के बल पर इस खसरा नम्बर में मकान बनाकर रहूंगा। यदि तुमने इसमें कोई व्यवधान डालने का प्रयास किया, तो परिणाम गंभीर होंगे। सायल ने गैरसायल को समझाने का भरसक प्रयास किया। मगर वह किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायल को पाबंद फरमाने से उसे कोई क्षति किसी भी प्रकार की प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे गैरसायल आराजी ख0नं0 1358 रकबा 63 ऐयर स्थित ग्राम जमालपुर (मेंडकापुरा) तहसील हिण्डौन के सायल के हिस्से से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करें। सायल की भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में तब्दील नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें। और नाही किसी अन्य से करावें। जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में सायल द्वारा उक्त उनवानी दावा दायर करना स्वीकार है, लेकिन सायल को दावे में सफलता की लेशमात्र भी गुंजाईश नहीं है। सायल ने बिल्कुल गलत एवं मौके के विपरीत स्थिति बताकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये हैं, जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में वर्णित खसरा नम्बर 1358 रकवा 63 ऐयर स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में सायल के पिता गुर्जी का 1/4 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन साबिक में सायल के पिता गुर्जी ने आज से करीब 45–46 साल पूर्व अपने हिस्से में से 6 ऐयर भूमि गैरसायल के पिता गंगासहाय व गैरसायल के खास चाचा काडूराम पुत्र बंशी मीना को जुबानी विक्रय कर दिया और विक्रित भूमि 75X85 फीट भाग पर क्रेतागण गंगासहाय व काडूराम का कब्जा करा दिया तथा उक्त भूमि का कब्जा स्वयं सायल व उसके पिता मौके पर गैरसायल के पिता गंगासहाय व काडूराम को नाप तौल कर कराया तथा गैरसायल के पिता व उसके चाचा ने अपनी खरीदशुदा भूमि के पूर्व की ओर 12 फीट चौडा दरवाजा निकाल कर शेष सम्पूर्ण भूमि की चारों तरफ से 5–5 फीट ऊंची पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर उक्त भूमि में पुख्ता पाटौरपोश 12 गेह दुपल्ला बना ली और अपने परिवार सहित उक्त भूमि में रिहायश करना प्रारम्भ कर दिया तथा गैरसायल की रिहायशके पीछे पश्चिम में गुर्जी के हिस्से में हरिमन पुत्र लोहडेराम की रिहायश बनी हुई है तथा वर्ष 1992 में गैरसायल के पिता गंगासहाय के फौत होने पर गैरसायल ने उक्त पाटौरपोश रिहायश में विद्युत विभाग से घरेलू विद्युत कनेक्शन जिसका के. नम्बर 211222010693 ले लिया और उक्त भूखण्ड पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। माह जून, 2023 में गैरसायल ने उक्त भूखण्ड में पुख्ता मकानीयत बनाने हेतु पश्चिम की ओर स्थित 9 गेह पाटौरपोश में से 7 गेह पाटौर उतार कर रख दी और उक्त भूखण्ड में दासेबंदी कराकर भरत हेतु मिट्टी डलवाई तो सायल के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 1358 में 1/4 हिस्से में गुर्जी का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए गलत व विधि विरुद्ध रूप से उक्त दावा व प्रार्थना पत्र झूठे तथ्य दर्ज कर पेश कर दिया, जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर में कोई काश्त नहीं होती। उक्त खसरा नम्बर के शेष खातेदारों ने भी अपने हिस्सों की उक्त भूमि में रिहायश बना रखी है, इसलिए उक्त भूमि में मौके पर कोई काश्त की होने से व मौके पर से सम्पूर्ण भूमि में आबादी होने से न्यायालय हाजा को उक्त दावे को सुनने का अधिकार हासिल नहीं है और सायल का मौके पर उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने से उक्त प्रार्थना कब्जे के अभाव में कानूनन पोषणीय नहीं है। सायल ने महज राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुए मौके के विपरीत भूमि की स्थिति बताकर बिल्कुल गलत प्रार्थना पत्र अनक्लीन हैण्ड से पेश किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 07.06.2023 को गैरसायलान कोई सायल के पास

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं आया और ना ही सायल उसके पास आबादी हेतु जमीन कम होने की कहा और ना ही सायल से खसरा नम्बर 1358 में से उसके तथाकथित हिस्से में से आबादी बावत् जमीन देने की कहा या विक्रय करने की कहा और ना सायल ने मना किया और ना गैरसायल नाराज हुआ और ना गैरसायल ने उक्त मद में वर्णित तथाकथित कोई धमकी सायल को दी, जबकि वास्तविकता यह है कि जब सायल के पास कोई भूमि उक्त खसरा नम्बर की मौके पर है ही नहीं तो गैरसायल द्वारा उसे उक्त भूमि विक्रय करने की कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जबकि वास्तविकता में सायल का पिता गुर्जी अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बरमें अपने हिस्से को गैरसायल के पिता व चाचा को व इसके अलावा अन्य लोगों को विक्रय कर दिया और क्रेतागण ने वहां अपनी रिहायश बना ली। मौके पर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1358 में रिहायश बनाकर आबादी हो रही है, कोई काश्त नहीं होती। गैरसायल द्वारा अपनी भूमि में पाटौरों को उतार कर पुख्ता रिहायश हेतु मकान निर्माण करने पर सायल के द्वारा उक्त मुकदमा झूठे तथ्यों के आधार पर दायर कर दिया, जिसकी जानकारी मुकदमे के नोटिस मिलने पर गैरसायल ने दिनांक 26.06.2023 ग्राम मेठदापुरा में आपसी गांवों सहित पंचों की पंचायत की जिसमें भी उक्त भूमि को गैरसायल के पिता की होना व उनका ही उस पर रिहायश होना व उनका ही कब्जा भाग जिस पर पंचों ने उसकी लिखावट की, जिस पर सायल ने हस्ताक्षर नहीं किये, लेकिन उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर हैं, इससे स्पष्ट है कि सायल ने बिल्कुल गलत व झूठे तथ्य दर्ज कर मौके के विपरीत खिलाफ कानून उक्त प्रार्थना पत्र दायर किया है, जो कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायल के कोई गलत मंसूबे नहीं है तो उनके कामयाब होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सायल को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है, बल्कि पाबन्द करने पर गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति है। प्रार्थना पत्र सायल द्वारा अपने पुत्र भगवानसिंह जो रेलवे पुलिस में कार्यरत है. उसी के बहकावे में आकर झूठे तथ्यों के आधार पर मौके के विपरीत तथ्य दर्ज कर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सायल का पुत्र भगवानसिंह रेलवे पुलिस में होने की धौंस दिखाकर गैरसायल को आए दिन धमकाता रहता है और कहता है कि मैं रेलवे पुलिस में हूं और सभी पुलिस विभागों में मेरी जानकारी है और मेरे बड़े–बड़े लोगों से सम्पर्क है और तुम्हें किसी भी दिन थाने में बंद करा दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी आदि कहकर आए दिन धमकी देता रहता है. जिसके कारण गैरसायल मानसिक रूप से त्रस्त रहता है तथा उसी के बहकावे में आकर सायल द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत होने से अस्वीकार है। सायल के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है, बल्कि गैरसायल के हक में साबित है। सायल क्लीनहैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है, उसने मैटेरियल तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073–76, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220006800009/2018 दिनांक 11.06.2018 मृतक गुर्जी पुत्र कजोडया मीना निवासी मेड का पुरा जमालपुर तहसील हिण्डौन, आधार कार्ड सं0 377935543208 गिर्राज पुत्र गुर्जी निवासी मेड का पुरा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली, पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति पंचनामा दिनांक 26.06.2023, फोटो प्रति विधुत बिल कनेक्शन के नम्बर 211222010693 राजबाई मीना पत्नि गंगासहाय मीना जमालपुर के नाम से माह अप्रेल 2022 का जारी किया हुआ है पेश किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायल ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1352 रकबा 0.08 है0 गै0मु0 चाह, 1353 रकबा 0.27 है0, 1356 रकबा 0.50 है0 गै0मु0 रास्ता, 1357 रकबा 0.01 है0 गै0मु0, 1358 रकबा 0.63 है0 बारानी 1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.49 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरी पत्नि स्व0 बतास्या हि0 1/28, कमलेश पुत्र बतास्या हि0 1/28, कमलेशी पुत्री बतास्या हि0 1/28, गुर्जी पुत्र कजोडया हि0 1/4, बलराम पुत्र बतास्या हि0 1/28, मुकलेश पुत्र बतास्या हि0 1/28, मुकेशी पुत्री बतास्या हि0 1/28, रामेश्वर पुत्र कजोडया हि0 1/4, रामसिंह उर्फ शकूर पुत्र कजोडया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि0 1/4, लालाराम पुत्र बतास्या हि0 1/28 जातियान मीना सा0 मेड का पुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220006800009/2018 दिनांक 11.06.2018 मृतक गुर्जी पुत्र कजोडया मीना निवासी मेड का पुरा जमालपुर तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

आधार कार्ड सं0 377935543208 गिर्राज पुत्र गुर्जी निवासी मेड का पुरा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति पंचनामा दिनांक 26.06.2023 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1358 पर जितना कब्जा भरतराम मीना पुत्र गंगासहाय मीना ने कर रखा है उस पर इसके पिता गंगासहायका था अब भरतराम का कब्जा है और यह कब्जा गिर्राज वाली जमीन का है पूर्व में गंगासहाय मीना पुत्र बंशी मीना पाटौर बना कर रह रहा था अब उस जमीन पर भरतराम पक्का मकान बनाने लगा तो गिर्राज मीना ने मुकदमा दायर करवा दिया, गिर्राज को समझाया कि तेरे पिता गुर्जी मीना ने यह जमीन गंगासहाय को दे दी थी उसको मकान बना लेने दो लेकिन गिर्राज पंचों की समझाईश को मानने को तैयार नहीं हुआ।

फोटो प्रति विधुत बिल कनेक्शन के नम्बर 211222010693 राजबाई मीना पत्नि गंगासहाय मीना जमालपुर के नाम से माह अप्रेल 2022 का जारी किया हुआ है पेश किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में सायल के पिता गुर्जी पुत्र कजोडया हि0 1/4 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। गैरसायल ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.63 है0 में से गैरसायल व उसके पिता को सायल एवं सायल के पिता गुर्जी पुत्र कजोडया मीना के द्वारा गैरसायल को आवास हेतु भूमि बेचान की गई हो अथवा दान दी गई हो या अन्य किसी भी प्रकार से बदल पत्र के माध्य दी गई हो। उक्त विवादित आराजीयात में यदि गैरसायल का कोई कब्जा है तो वह मात्र अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है। जिसके आधार पर गैरसायल को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सायल का पिता गुर्जी पुत्र कजोडया की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए गुर्जी पुत्र कजोडया के हिस्से की भूमि पर सायल बतौर पुत्र काबिज होना प्रतीत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होता है, इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस सायल के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमेंबाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल स्वीकार किया जाकर गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली